

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती कृष्णा बनाम गोकुल (पिता)

रस मुकदमा प्रा.पत्र 111-28 नं० 17 सन् 2022

क	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 3.2.22 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
23	<p>पत्रावली पेश हुई, विपक्षीगण द्वारा न्यायिक कार्य रोक/वहिकार रखने से पत्रावली दिनांक 24.3 को पेश हो।</p>	
24	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षी सं. 2 के तामिल सम्मन बाद प्राप्त हुआ जिसे शा.पत्र छिपा गया। तहसीलदार मांडल से मौका डिपॉट प्राप्त हुई जिसे शा.पत्र छिपा गया। वास्ते पत्रावली में देयने क्षमता सं. 1 की तामिल/बटल हेतु निपट दिनांक 22.3.22 को पेश हो।</p>	
25	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीतारजीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.3.22 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
29	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षी सं. 1 उपस्थित, विपक्षी सं. 2 ने वकील प्रार्थिया का शा.पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। विपक्षी सं. 2 की डिपॉट में भावने डिलाकी जाने हेतु शा.पत्र उपस्थित नहीं, इनके बिकट एक पुराना सफेद की बिये जिनका अलेश किया जा रहा है वकील प्रार्थिया का शा.पत्र स्वीकार किया जाकर बिकट पुराने से लिखा जाकर शा.पत्र किया गया। पत्रावली फं सल शुभर होकर नम्बर से कम है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा</p>	<p>आतापील (1)</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

ठारसीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना आर.ए.एस.

फदना संख्या - 17/2022

- श्रीमती कृष्णा पाटील रवूखीलाल जीनगर निम्मांडल तम्मांडल

- प्रार्थी

बनाम

- श्री रवूखीलाल पिता मनूराम रेगर निम्मांडल तम्मांडल वर्ग 0

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 29-03-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का मोयू तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 2866, 2867, 2871, 2872 कुल किता 04 रकबा 2.1499 हे० 2288, 2290, 2288, 2290 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा गृह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगटी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14-01-2022 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को वलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगटी लगाने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी लगाने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का मोयू तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 2866, 2867, 2871, 2872 कुल किता 04 रकबा 2.1499 हे० 2288, 2290, 2288, 2290 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगटी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगटी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारिया को 4800/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगटी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगटी नहीं की जावें।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगटी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा